

[भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थी]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 30/08/2017

अधिसूचना

सा. का. नि. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शाकितयों का प्रयोग करते हुए, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतद्वारा स्पोर्ट्स इंजरी केन्द्र, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ----- के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रांभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्पोर्ट्स इंजरी केन्द्र, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली स्पोर्ट्स मनोविज्ञानी/सहायक प्रोफेसर स्पोर्ट्स भर्ती नियम, 2017 कहलाएंगे।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे-मेट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, तथा पे-मेट्रिक्स में संबद्ध लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहता: वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शाकित- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
1	2	3	4	5	6	7
स्पोर्ट्स मनोविज्ञानी/ सहायक प्रोफेसर	1*(2017)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', अराजपत्रित अननुसन्चिवी य	पे मेट्रिक्स लेवल 11 में 67700 - 208700 रु	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्तु व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
8 लागू नहीं	9 लागू नहीं	10 प्रतिनियुक्ति से (अल्पकालिक संविदा सहित

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>(11)</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति (अघु अवधि अनुबंध सहित):</u></p>	<p>(12)</p> <p>लागू नहीं।</p>	<p>(13)</p> <p>लागू नहीं।</p>
<p>केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों में से:-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारी; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रुपए 56100-177500) अथवा समकक्ष के स्तर 10 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(iii) जिनके पास निम्नलिखित योग्यता और अनुभव हो:</p> <p>अनिवार्य:</p> <p>क. मनोविज्ञान अथवा खेल मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री।</p> <p>ख. नैदानिक मनोविज्ञान अथवा मनोविज्ञान में एम.फिल.</p> <p>ग. पद पर दो साल का अनुभव, नैदानिक अथवा शिक्षण अथवा अनुसंधान के क्षेत्र में एम.फिल.</p>		

वांछनीयः

मनोविज्ञान अथवा खेल मनोविज्ञान में पीएच.डी.

टिप्पण 1:- केन्द्र सरकार के एक ही अथवा किसी अन्य संगठनया विभागमें इस नियुक्ति से शीघ्र पहले धारित अन्य पूर्व संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित (लघु अवधि अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि अनुबंध सहित) सामान्यतया तीन साल से अधिक नहीं होगी। आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को लघु अवधि अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 साल से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले की तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[जैड.28015/139/2012-एच]

(संजय पंत)
अवर सचिव